



# कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 3333/12-1 मसूरी, दिनांक, 10. 2. 2020।

सेवा में,

State Co-Ordinating,  
Reliance Jeo, Information, Limited,  
प्रथम तल, रिलायंस मार्केट, जी०एम०एस०रोड, निरंजनपुर  
देहरादून।

विषय -

जनपद-देहरादून एवं जनपद-टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग की कैंम्पटी, भद्रीगाड़, मसूरी एवं जौपुर रेंज अन्तर्गत एन०एच०-507, यमुनापुल-खरसौन-क्यारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54 (10.00 किमी०), यमुनापुल-मसूरी बैण्ड जीरो प्वाईट(21.00 किमी०), यमुनापुल-सुमनक्यारी (11.20 किमी०) एवं एस०एच०-08 मसूरी-घम्बा मार्ग के मसूरी-घनोल्टी (34.00 किमी०) कुल लम्बाई 76.20 किमी० सड़क /मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत ऑटिकल्स फाईबर केबिल विछाने हेतु वांछित 0.552 वन का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Reliance Jeo, Information, Limited, को 30 वर्षों की लीज पर प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।  
ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/OFC/36800/2018

सन्दर्भ :-

आपका ई०डी०एस० दिनांक 03-02-2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ई०डी०एस० दिनांक 03-02-2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित कार्य हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन प्रस्ताव की जाँच /परीक्षण प्रभाग स्तर से की गयी। ऑनलाईन प्रस्ताव एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की हार्ड प्रति की जाँच /परीक्षण करने पर पाया कि इस कार्यालय के पत्र सं० 1705/12-1, दिनांक 31-10-2019 में इंगित बिन्दुवार आनलाईन आपत्तियों का निराकरण / अवलोकन किये बिना ही आपके द्वारा आनलाईन प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में आपको इस कार्यालय के पत्र सं० 2947/12-1, दिनांक 14-01-2020 के द्वारा अवगत कराते हुए यह अपेक्षा की गयी थी कि आनलाईन एवं प्रस्ताव की हार्ड में इंगित आनलाईन आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय। अपितु आपके स्तर से ई०डी०एस० पत्र में इंगित आनलाईन आपत्तियों का अवलोकन /परीक्षण किये बिना बार-बार अपूर्ण आनलाईन प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है जिससे अनावश्यक पत्राचार से समय की बर्बादी परिलक्षित होती है। आपके द्वारा प्रेषित अपूर्ण प्रस्ताव को प्रभाग स्तर से अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं है।

कृपया आनलाईन प्रस्ताव एवं आनलाईन प्रस्ताव की हार्ड प्रति में कतिपय निम्न कमियों के निराकरण हेतु पुनः लौटाया जा रहा है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर से आनलाईन प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण कर वांछित अभिलेख /सूचनाएँ आनलाईन भाग-1 में यथास्थान अपलोड कर परिपूर्ण प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करवा जाय।

1. मूल प्रस्ताव के भाग-1 के प्रपत्र-2 फार्म-क में दिनांक, स्थान एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी का नाम यथास्थान अंकित किया जाय। इस हेतु प्रस्ताव की हार्ड प्रति प्राप्त करने हेतु अपने अधीनस्त को इस कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।
2. आनलाईन प्रस्ताव के पैरा 2.3 Village wise breakup में प्रस्तावित परियोजना के कार्य हेतु वांछित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.137 है० तथा Non Forest Land का क्षेत्रफल 0.167 है० दर्ज है जबकि प्रस्तावित परियोजना के कार्य हेतु वन भूमि का क्षेत्रफल 0.552 है० तथा Non Forest Land का क्षेत्रफल 0.21 है० प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित है। कृपया आनलाईन प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की हार्ड प्रति में वांछित भूमियों के क्षेत्रफल में एकरूपता रखी जाय, तथा आनलाईन प्रस्ताव के पैरा 2.3 Village wise breakup में प्रस्ताव के अनुसार वांछित क्षेत्रफल अपलोड किया जाय। प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर से उक्त निराकरण अपेक्षित है।

3. आनलाईन प्रस्ताव के पैरा 2.3 D (i) में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Justification for locating the project in forest land and details of alternative examined में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित Justification यथास्थान अपलोड किया जाय। प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर से उक्त निराकरण अपेक्षित है।
4. प्रस्ताव में चस्पा भारत सरकार द्वारा निर्धारित वन अधिकार अधिनियम 2005 के ग्राम स्तरीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र में ग्राम पंचायत-धनोल्टी, सिया कैंम्पटी, खरसोन, भटोली एवं टटोर में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित एक ही क्षेत्रफल (आरक्षित वन-0.19है०, सिविल सोयम भूमि-0.11है० तथा नापभूमि-0.05है० कुल 0.350है०) अंकित की गयी है जबकि अलग-अलग ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत वांछित भूमि का विवरण प्रस्ताव में चस्पा संलग्नकों में अंकित क्षेत्रफल के अन्तर को स्पष्ट करते हुए संगत दस्तावेज /संशोधित ग्राम स्तरीय अनापत्ति प्रमाण-पत्रों को प्रस्ताव की हार्ड प्रति एवं आनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में यथास्थान चस्पा अपलोड किया जाय। प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर से उक्त निराकरण अपेक्षित है।
5. आनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 के पैरा K(a) में अपलोड जिलास्तरीय अनापत्ति प्रमाण-पत्रों में जिलास्तरीय बैठक का दिनांक अंकित किया जाय।
6. प्रस्ताव में चस्पा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्य के हस्ताक्षर कराये जायें।
7. प्रस्ताव में चस्पा प्रपत्र-14, प्रपत्र-17, प्रारूप-27, प्रारूप-37 एवं प्रारूप 41 में राजस्व विभाग के सक्षम /जिलाधिकारी के समुह हस्ताक्षर उपरान्त प्रस्ताव में यथास्थान अपलोड /चस्पा किया जाय।

संलग्न -उक्तानुसार (प्रस्ताव की तीन स्कैन हार्ड प्रति)।

(कहकशां नसीम)  
 वैरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी,  
 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।  
 मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

पत्रांक 3333 / दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्न को उक्त विषयक सन्दर्भित ई०डी०ए० पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(कहकशां नसीम)  
 वैरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी,  
 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(कहकशां नसीम)  
 प्रभागीय वनाधिकारी,  
 मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 2947/12-1 दिनांक, मसूरी 14, -01-2020।

सेवा में,

State Co-Ordinating,

Reliance Jeo, Infocomm Limited

प्रथम तल, रिलायंस मार्केट, जी०एम०एस०रोड, निरजनपुर  
देहरादून।

विषय:-

जनपद-देहरादून एवं जनपद-टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी, भद्रीगाड़, मसूरी एवं जौनपुर रेंज अन्तर्गत एन०एच०-507 यमुनापुल-खरसौन-क्यारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54(10.00किमी०), यमुना-मसूरी बैण्ड जीरो प्वाइन्ट II (21.00किमी०), यमुनापुल-सुमनक्यारी (11.20किमी०) एवं एच०एस० 08 मसूरी घन्ब मार्ग से मसूरी-धनोल्डी- (34.00 किमी०) कुल 78.20 किमी० सड़क /मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत ऑप्टिकल्स फाईबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.552है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Reliance Jeo, Infocomm Limited को लीज पर प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव। ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/OFC/36800/2018

सन्दर्भ :-

आपका ई०डी०एस० पत्र दिनांक 02-12-2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ई०डी०एस० पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव जो इस कार्यालय में दिनांक 26-09-2019 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रस्ताव की प्रभाग स्तर से जाँच /परीक्षण उपरान्त कतिपय कमियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्र सं० 1705/12-1, दिनांक 31-10-2019 के द्वारा आपको प्रेषित किया गया था। आपके /प्रयोक्ता एजेन्सी के स्तर से उक्त प्रस्ताव दिनांक 06-01-2020 को इस कार्यालय में उक्त पत्र में इंगित ई०डी०एस० आपत्तियों के निराकरण किये बिना अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। कृपया पत्र में इंगित आनलाईन आपत्तियों का अक्षरशः निराकरण करने के उपरान्त ही प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराना का कष्ट करें। विषयांकित वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पुनः मय हार्ड प्रति के आपको वापस किया जाता है।

संलग्न :- उक्तानुसार(प्रस्ताव की तीन हार्ड प्रति)

2947

पत्रांक / दिनांक।

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, देहरादून एवं जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उक्त विषयक सन्दर्भित ई०डी०एस० पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीया

(कहकशां नसीम)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

(कहकशां नसीम)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1705/12-1 दिनांक, मसूरी 31-10-2019।

सेवा में,

State Co-Ordinating,

Reliance Jio, Infocomm Limited

प्रथम तल, रिलायंस मार्केट, जी०एम०एस०रोड़, निरजनपुर  
देहरादून।

विषय:-

जनपद-देहरादून एवं जनपद-टिहरी गढ़वाल में मसूरी वन प्रभाग की कैम्पटी, भद्रीगाड, मसूरी, एवं जौनपुर रेंज अन्तर्गत एन०एच० 507 यमुनापुल-खरसौन क्यारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54 (10.00किमी०), यमुनापुल-मसूरी बैण्ड जीरो प्वाइंट (21.00किमी०), यमुनापुल-सुमनक्यारी (11.20किमी०) एवं एस०एच० 08 मसूरी-चम्बा मार्ग के मसूरी-धनोल्टी (34.00किमी०) कुल लम्बाई 78.20 किमी० सड़क /मोटर मार्ग के किनारे भूमिगत ऑप्टिकल्स फाईबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.552है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Reliance Jio, Infocomm Limited को 30 वर्षों की लीज पर प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक /ऑनलाईन प्रस्ताव सं० FP/UK/OFC/36800/2018 दिनांक 20-09-2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव जो इस कार्यालय में दिनांक 26-09-2019 को ऑनलाईन एवं हार्ड प्रति के साथ प्राप्त हुआ। ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव की प्रभाग स्तर से जाँच / परीक्षण उपरान्त निम्न कमियों पायी गयी। परीक्षोपरान्त प्रस्ताव में संलग्नकों / प्रमाण-पत्रों पर प्रभाग स्तर से हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। ऑनलाईन प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की हार्ड प्रति में कतिपय निम्न कमियों के निराकरण हेतु इस आशय से लौटाया जा रहा है कि प्रयोक्ता एजेन्सी की ओर से ऑनलाईन प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण कर वांछित अभिलेख /सूचनाएँ ऑनलाईन भाग-I में अपलोड करते हुए प्रस्ताव में यथास्थान चरपा /अंकित करने का कष्ट करें :-

- 1- ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-I के प्रपत्र-2 फार्म-क में दिनांक, स्थान एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के सक्षम अधिकारी का नाम यथास्थान अंकित किया जाय।
- 2- ऑनलाईन प्रस्ताव के पैरा 2.3 Village wise breakup में वन भूमि का क्षेत्रफल 0.137है० तथा Non forest land का क्षेत्रफल 0.167है० अपलोड है जबकि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में वन भूमि का क्षेत्रफल 0.552है० तथा Non forest land का क्षेत्रफल 0.21है० दर्ज/अंकित है। कृपया उक्त अन्तर को स्पष्ट करते हुए ऑनलाईन एवं प्रस्ताव की हार्ड प्रति में वांछित भूमियों के क्षेत्रफल में एकरूपता रखी जाय।
- 3- प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विधायकित कार्य हेतु वन भूमि की मांग की पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव में चरपा /संलग्न नहीं है, कृपया संगत दरतावेज / अभिलेख प्रस्ताव में यथास्थान चरपा /संलग्न किया जाय।
- 4- ऑनलाईन प्रस्ताव के पैरा C (iii) एवं (iv) में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित भूमि की स्पष्ट व साफ डिजिटल मानचित्र 1:50000 पैमाने की Topo Sheet तथा Geo refrence map को प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए प्रस्ताव की हार्ड प्रति तथा ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-I में यथास्थान स्थान अपलोड /चरपा किया जाय।
- 5- ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-I के पैरा D(i) में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Justification for locating the project in forest land and details of alternatives examined में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित Justification यथास्थान अपलोड की किया जाय।

6-(क) प्रस्ताव में चरपा भारत सरकार द्वारा निर्धारित वन अधिकार अधिनियम 2005 के ग्राम स्तरीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र में ग्राम पंचायत-धनोल्ती, सिया कैंम्पटी, खरसोन, भटोली एवं टटोर में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु वांछित एक ही क्षेत्रफल (आरक्षित वन- 0.19है०, सिविल सोयम भूमि-0.11है० तथा नाप भूमि-0.05है०कुल 0.350है०) अंकित की गयी है, जबकि अलग-अलग ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत वांछित भूमि का विवरण प्रस्ताव में चरपा संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट के अनुरूप होना चाहिए। कृपया प्रस्ताव में चरपा संलग्नों में अंकित क्षेत्रफल के अन्तर को स्पष्ट करते हुए संगत दस्तावेज /संशोधित ग्राम स्तरीय अनापत्ति प्रमाण-पत्रों को प्रस्ताव की हार्ड प्रति एवं आनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 के पैरा K(a) में यथास्थान चरपा / अपलोड किया जाय।

(ख) ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 के पैरा K(a) में अपलोड जिलास्तरीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र में जिलास्तरीय बैठक का दिनांक अंकित किया जाय।

6- प्रस्ताव में चरपा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्य के समुह हस्ताक्षर कराये जाय।

7- प्रस्ताव में चरपा छाया प्रतियां को सक्षम स्तर से सत्यापित कर प्रस्ताव में चरपा की जाय।

8- प्रस्ताव में चरपा प्रपत्र- 14, प्रपत्र-17, डिजिटल मानचित्र 1:50000 पैमाने की Topo Sheet (स्वच्छ एवं साफ), प्रारूप-27, प्रारूप-37, प्रारूप-41 राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी /जिलाधिकारी के समुह हस्ताक्षर उपरान्त प्रस्ताव में यथास्थान अपलोड की किया जाय।

संलग्न - प्रस्ताव की तीन (3) स्कैन हार्ड प्रति ।

भवदीया

(कहकशां नसीम)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1705/दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में विषयांकित वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।

(कहकशां नसीम)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

vill. wise breakup

S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Bahadur Garh	0.004	0.003
2	Dumet	0.002	0.003
3	Kyari	0.002	0.004
4	Dhalin	0.005	0.003
5	Bhedyana	0.001	0.003
6	Mahasasa	0.002	0.003
7	Childichak	0.004	0.003
8	Pataghat	0.003	0.003
9	Sunakholi	0.001	0.003
10	Landour	0.002	0.004
11	Dhanaulti	0.002	0.003
12	Tundhar	0.002	0.001
13	Dhobighat	0.004	0.003
14	Bhatta Gaon	0.002	0.003
15	Doom Gaon	0.002	0.001
16	Kolukhet	0.005	0.003
17	Khala Gaon	0.005	0.006
18	Kuthal Gaon	0.008	0.006
19	Kirsali Gaon	0.008	0.004
20	Kairwaan Gaon	0.004	0.004
21	Khuranwa	0.006	0.009
22	Taria Nagal	0.004	0.009
23	Marautha	0.005	0.003
24	Bandawali	0.006	0.002
25	Thewa	0.007	0.005
26	Seraki	0.005	0.006
27	Kheri Mansingh	0.003	0.004
28	Lwarkha	0.004	0.006
29	Sarkhet	0.002	0.006
30	Tachhila	0.005	0.006
31	Ghena	0.005	0.007
32	Jamthiyal Gaon	0.003	0.007
33	Rawali	0.004	0.007
34	Simiyari	0.004	0.008
35	Goth	0.006	0.016
<b>Total</b>		<b>0.137 X</b>	<b>0.167 X</b>

0.552 ✓

0.21 ✓


Form-1

For linear projects

Government of India

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No.

Dated. To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initial and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **0.552 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Reliance Jio Infocomm Ltd. 3<sup>rd</sup> floor, Maker Chamber IV, 222, Nariman Point Mumbai** for (1) यमुनापुल से खरसोन क्यारी, (2) यमुनापुल से मसूरी बेंड जीरो पॉइंट, (3) यमुनापुल से सुमनक्यारी, (4) मसूरी-धनौली-चम्बा मार्ग भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु। (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Tehri and Dhanolti, Tehsil.

It is further certified that

- (j) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.552 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are include as annexure to ..... annexure.....
- (k) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed ~~and the Gram sabha have given their consent to it.~~
- (l) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.


Date:-

Encl. As above.

  
C S M. Dhanolte

प्रतिष्ठापित

Signature

  
जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल

(.....)

District collector,  
Tehri Garhwal

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR  
DISTRICT -TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs. ...S.R.NIKA..... I.A.S District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Block-Chamba and Thauldhar area measuring **0.552 hect.** for **Construction of** (1) यमुनापुल से खरराोन क्यारी, (2) यमुनापुल से मसूरी बैण्ड जीरो पॉइंट, (3) यमुनापुल से सुमनक्यारी, (4) मसूरी-धनौली-चम्बा माग में भूमिगत आर्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु। forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:.....  
Dated:.....

प्रतिहस्ताक्षरित

 जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल  
District Collector-cum-Chairman  
District Level Committe

↓  
CSDM. Dhanchho)



जनपद-- टिहरी

दिनांक

पत्रांक

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त:-

दिनांक ..... को जिलाधिकारी, टिहरी की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद टिहरी के विकास खण्ड मसूरी के अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable परियोजना का नाम--** जनपद टिहरी के मसूरी वन प्रभाग कैम्पटी-भद्रीगाड़ एवं मसूरी-जौनपुर रेंज के अन्तर्गत


- (1) एन0एच0 507 यमुना पुल-खरसोन क्यारी माईलस्टोन-44 से माईलस्टोन-54, 10 कि0मी0.
- (2) यमुना पुल-मसूरी बैंड जीरो प्वाइंट 21 कि0मी0.
- (3) यमुना पुल-सुमन क्यारी 11.2 कि0मी0.
- (4) एस0एच0 08 मसूरी-चम्बा मार्ग मसूरी-घनीली 34 कि0मी0.

जिसकी कुल लम्बाई 76.2 कि0मी0. और जिसका कुल वन भूमि क्षेत्रफल 0.552 हे0 के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन वानिकी कार्य हेतु रिलाइंस जियो इन्फोकॉम लि0 को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने

को प्रत्यावर्तित/लीज पर दिये जाने सम्बन्धित ~~मसूरी वन प्रभाग~~ उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी टिहरी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.552 हे0 आरक्षित वन भूमि जो कि वन विभाग के शीयर रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है। उप जिलाधिकारी, ..... टिहरी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

**प्रतिहस्ताक्षरित**

  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
टिहरी


  
प्रभागीय वनाधिकारी  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

  
जिलाधिकारी  
टिहरी विहीवाल

पत्रांक ..... / दिनांक .....

प्रतिलिपि ..... का

सूचनार्थ एवं आध्यक्षक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
(J. S. Chandra)

जिलाधिकारी  
टिहरी।

Justification for location the Project in forest land and details of alternativer examined:

M/s Reliance Jio Infocomm Ltd (A company Promited by Reliance Industries Ltd), formerly infotel Broadband Services Ltd have got license to operate 4<sup>th</sup> Generationn Broadband Wireless Access Services (4G) and implement Fiber to Home Networks across 23 States.

With a view to ensure connectivity, company is laying Optical Fibre Cable along the road side as per the agreed policy of Government of India and as per GO No. 1485/ukS-9-2012-161t/12 dated 15.10.2017Issued by the Chief Secretary, Government of UP

Since, the Fibre is to be connected end to end between the stretch along the road at Hill Side on NH- 507 (Yamuna Pul to Kharsona Kyari) Milestone 44 to Milestone 54, 10 Kms, (Yamuna Pul to Mussoorie Band Zero Point) 21 Kms, (Yamuna Pul to Suman Kyari) 11.2 Kms, SH-08 (Mussoorie-Dhanaulti) 34 Kms, Total 76.2 Kms & 0.762 Ha. in Forest Division: Mussoorie, District: Dehradun- UK and the some parts of the stretch fall under Forest, hence the permission to lay Optical Fiber Cable is being required from the said Forest Division. This is the minimum requirement of Forest land through and does not affect the nature of the forest, however all other options available go through the reserve forest land and will require more forest land and necessitate land transfer. We are only laying the OFC along the existing ROW leased to the highways.

We have done the survey and find that this is the best option and all other alternate routes to lay the Fibre and to connect the same with the other end go through core reserve forest. Hence, it is requested that permission may kindly be granted for this route.

Reliance Jio Infocomm Ltd.



Authorized Signatory

Attested by  
Dfo